



CIRCULAR

Circular no: PFRDA/2023/08/SUP-CRA/04

21st Feb 2023

To

All stakeholders under NPS

Subject: NPS/APY Functionalities released by CRAs during Quarter III (FY 2022-23)

The Central Record Keeping Agencies (CRAs) appointed by PFRDA develop system level functionalities as per the evolving needs of NPS/APY stakeholders.

2. CRAs have the responsibility to develop new functionalities or utilities, establish new processes, offer multiple models of interface for the uploading offices in order to provide maximum flexibility in terms of operation for the benefit of the subscribers as an ongoing exercise to fulfil their obligations which ultimately benefit the Subscribers.
3. The list of functionalities that have been developed and made available by CRAs during Quarter III of the current FY 2022-23 is attached herewith for benefit of subscribers and other stakeholders (Annexure I, II and III).
4. The circular is placed in the intermediary section of CRA on [PFRDA website](http://www.pfrda.org) for the information of all NPS/APY stake holders.

Yours sincerely,

Digitally signed by K
MOHAN GANDHI

Chief General Manager

Page 1 of 5

Annexure I - Functionalities released by Protean CRA during Q3 of FY 2022-23

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
1	NPS Prosperity Planner (NPP) - Self Planning cum Advisory tool for adequacy in Retirement Income	Introduction of NPS Prosperity Planner (NPP) (on the basis of Cohort data). Under NPP following three options are available to Subscribers: <ol style="list-style-type: none"> 1. How much Pension Subscriber will receive? 2. How much Pension Subscriber will need? 3. What Subscriber should do to achieve that?
2	Withdrawal due to Death	In case of Govt. Sector, if Death of the Subscriber is after Date of Retirement, then maximum 60% of the corpus paid as lump sum and minimum 40% to buy annuity.
3	Optional PAN during Withdrawal	PAN field shall be optional for Govt of Sikkim and J & K mapped Subscribers while initiating withdrawal request due to death.
4	Reduction in Withdrawal timelines	Reduction in Withdrawal timelines for processing of Partial/Conditional Withdrawal requests in Same Day Pay-in.
5	Submission of Partial Withdrawal through self declaration through nodal officers in Govt Sector	<ol style="list-style-type: none"> 1. Self-declaration based Partial/Conditional withdrawal of Subscriber and direct processing at CRA system has been disabled for Govt. Sector. 2. The partial withdrawal request based on self declaration needs to be submitted through the nodal officers online or off line for processing.
6	NPS Regular - Settlement (separate bucket to identify employer and employee contributions)	Creation of a separate bucket to identify employer and employee contributions implemented at the time of contribution upload.
7	NPS Lite / APY - Dashboard	System access to PFRDA/SLBCs for State/District level Dashboard reports: <ol style="list-style-type: none"> 1. State Level Bankers' Committee (SLBC) requires reports on fortnightly basis to monitor the progress of the Bank branches present under the state. 2. To monitor progress, Dashboard reports created in the NPS Lite application which can be accessed by SLBC. 3. User IDs for SLBC has been created for access of Dashboard Reports.

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
8	Withdrawal due to Incapacitation	Subscriber to have an additional option for Withdrawal under the category i.e. "Withdrawal due to Incapacitation".
9	NPS Regular - Family Income Option	<ol style="list-style-type: none"> 1. NPS - Family Income Option can be selected by Nodal Office/Subscriber irrespective of marital status 2. Even if the marital status is "Unmarried", scheme can be selected by Nodal Office/ Subscriber.
10	Changes due to CCS rules	<ol style="list-style-type: none"> 1. At present as part of CCS rules, while submitting details of Form 1 and 2, there are only two options available for selection i.e., 'Benefits under CCS (Pension) Rules,1972 or CCS (Extraordinary Pension) Rules,1939' and 'Benefits under the National Pension System (NPS)'. 2. Two new options i.e., 'CCS pension invalid flag' and 'Death within 90 days after resignation flag' has been added in addition to existing options.

परिपत्र

परिपत्र सं. : पीएफआरडीए/2023/08/एसयूपी-सीआरए/04

21 फरवरी 2023

प्रति,

एनपीएस के तहत सभी हितधारक

विषय : सीआरए द्वारा तिमाही III (वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान जारी एनपीएस/एपीवाई कार्यप्रणालियाँ

पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए,) एनपीएस/एपीवाई हितधारकों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थागत कार्यप्रणालियाँ विकसित करते हैं।

2. सीआरए की जिम्मेदारी है कि वे अभिदाताओं के हित में, अपने दायित्वों को समय से पूरा करने के लिए नई कार्यप्रणालियों या उपयोगिताओं को विकसित करें, नई प्रक्रियाएं स्थापित करें, अपलोडिंग कार्यालयों हेतु इंटरफेस के कई मॉडल प्रदान करें ताकि अभिदाताओं के लाभ हेतु परिचालन के मामले में अधिकतम लचीलापन प्रदान किया जा सके।
3. सीआरए द्वारा अभिदाताओं तथा अन्य हितधारकों के लिए मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान विकसित और उपलब्ध कराई गई कार्यप्रणालियों की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक I, II और III)
4. सभी एनपीएस/एपीवाई हितधारकों की जानकारी के लिए, इस परिपत्र को [पीएफआरडीए वेबसाइट](#) पर "intermediary section of CRA" के तहत रखा गया है।

भवदीय,

Digitally signed by
K MOHAN GANDHI

मुख्य महाप्रबंधक

Page 1 of 5

अनुलग्नक I - वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान प्रोटियन सीआरए द्वारा जारी कार्यप्रणालियाँ

सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
1	एनपीएस प्रॉस्पेक्टि प्लानर (एनपीपी) - सेवानिवृत्ति आय में पर्याप्तता के लिए SELF PLANNING CUM ADVISORY उपकरण	एनपीएस प्रॉस्पेक्टि प्लानर (एनपीपी) की शुरुआत (समेकित आकड़ों के आधार पर)। एनपीपी के अंतर्गत अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित तीन विकल्प उपलब्ध हैं - 1. अभिदाता को कितनी पेंशन मिलेगी? 2. अभिदाता को कितनी पेंशन की जरूरत होगी? 3. इसे पाने के लिए अभिदाता को क्या करना चाहिए?
2	मृत्यु के कारण निकासी	सरकारी क्षेत्र के मामले में, यदि सेवानिवृत्ति के बाद अभिदाता की मृत्यु होती है, तो उसके कॉर्पस का अधिकतम 60% एकमुश्त राशि के रूप में भुगतान के लिए और न्यूनतम 40% वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है।
3	निकासी के दौरान वैकल्पिक पैर	सिक्किम सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा मैप किए गए अभिदाताओं के लिए मृत्यु के कारण निकासी अनुरोध शुरू करते समय पैर वैकल्पिक होगा।
4	निकासी की समय सीमा में कमी	समान दिवस पे-इन में आंशिक/सशर्त निकासी अनुरोधों को संसाधित करने के लिए निकासी की समय-सीमा में कमी।
5	सरकारी क्षेत्र में नोडल अधिकारियों के माध्यम से स्व-घोषणा के जरिए आंशिक निकासी प्रस्तुत करना	1. सरकारी क्षेत्र के लिए अभिदाता की स्व-घोषणा पर आधारित आंशिक/सशर्त निकासी और सीआरए प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रसंस्करण की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। 2. स्व-घोषणा पर आधारित आंशिक निकासी के प्रसंस्करण हेतु अनुरोध को नोडल अधिकारियों के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रस्तुत करना होगा।
6	एनपीएस नियमित - निपटान (नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान को इंगित करने हेतु अलग बकेट)	अंशदान अपलोड के दौरान लागू नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान को इंगित करने हेतु अलग-अलग बकेट का निर्माण।

सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
7	एनपीएस लाइट/एपीवाई - डैशबोर्ड	राज्य/जिला स्तरीय डैशबोर्ड हेतु पीएफआरडीए/एसएलबीसी के सिस्टम एक्सेस की रिपोर्ट : 1. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) को राज्य के अधीन मौजूद बैंक शाखाओं की प्रगति की निगरानी के लिए पाक्षिक आधार पर रिपोर्ट देना होता है। 2. प्रगति की निगरानी के लिए, एनपीएस लाइट एप्लिकेशन में डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाई गई है। एसएलबीसी द्वारा इस डैशबोर्ड तक पहुँचा जा सकता है। 3. डैशबोर्ड रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए SLBC की उपयोगकर्ता ID बनाई गई है।
8	अक्षमता के कारण निकासी	इस श्रेणी के अंतर्गत निकासी के लिए अभिदाता के पास एक अतिरिक्त विकल्प है - "अक्षमता के कारण निकासी"
9	एनपीएस रेगुलर - पारिवारिक आय विकल्प	1. नोडल कार्यालय /अभिदाता द्वारा उसकी वैवाहिक स्थिति को ध्यान दिए बिना एनपीएस - पारिवारिक आय विकल्प को चुना जा सकता है। 2. "अविवाहित" होने के बावजूद, नोडल कार्यालय/ अभिदाता द्वारा योजना चुनी जा सकती है।
10	सीसीएस नियमों के कारण होने वाले बदलाव	1. वर्तमान में सीसीएस नियमों के भाग के रूप में, फॉर्म 1 और 2 का विवरण प्रस्तुत करते समय, चयन के लिए केवल दो विकल्प उपलब्ध हैं, 'सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत लाभ' और 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत लाभ'। 2. मौजूदा विकल्पों के अलावा निम्नलिखित दो नए विकल्पों को जोड़ा गया है - 'सीसीएस पेंशन अमान्य फ्लैग' 'पदत्याग के बाद 90 दिनों के भीतर मृत्यु फ्लैग'